कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

8544/जोन-3/2011-12

मानचित्र संख्या......855...... दिनांक......18/4/12

श्रीमति/श्री, मैसर्स एस० वी०पी० बिल्डर्स (इंडिया) लि० द्वारा डायरेक्टर श्री विमल जिन्दल पुत्र श्री सत्यप्रकाश - निवासी - II-E-95 नेहरूनगर - गाजियाबाद।

आपके प्राथर्ना पत्र दिनांक ....26/9/2011........के सन्दर्भ में

आपके प्रस्तावित....ग्रुप हाउसिंग....भवन की मौहल्ला/

कालोनी/ग्राम....खसरा नं०- 519 व 522/1 ग्राम- कनावनी, इन्दिरापुरम.....पर

निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :–

1. यह मानिचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे – नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेगे कि सड़क की ओर न खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक .....12/9/11.....का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0 प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम....50 वृक्ष प्रति हे०....वृक्ष लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
16. 300 वर्ग मीटर या उसके अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12–00 मी. से अधिक ऊचें समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थपना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय प्राविधिक संस्थाएं प्रशिक्षण केन्द्र सामुदायिक केन्द्र बेंक्वेट बेंक्वेट हॉल बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करना तथा मानचित्र निर्गत होने से पूर्व अग्नि शमन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
19. आवेदक/भू–स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेवर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी अथवा शमन के समय उक्त मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।
20. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू–स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
21. भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 (3) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू–स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।

स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

विद्युत नियमो के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरो पर समस्त दीवारो के अपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित / आवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवर सिस्टम व प्रत्येक छत नीचे डाले जाये।

प्रभारी अधि० (आवासीय)
~~नगर नियोजक~~
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

संलग्नक :

1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र

पत्रांक /एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि 1. प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधि० (आवासीय)
~~नगर नियोजक~~
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण